रजिस्ट्री सं. डी एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 1994/भाद्र 4, 1916
NO 8] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 1994/BHADRA 4, 1916

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1994

का. नि. आ. 12 अ.— सशस्त्र सेना (ई डी) अधिनियम, 1947 (1947 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली तथा बम्बई में टेलीफोन सेवा के संचालन तथा रख-रखाव से संबंधित सभी सेवाओं को समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं घोषित करती है।

[फा. सं. 1 (126) /94-रक्षा (जीएस–1)]

पी. के जैन, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1994

S.R.O. 12(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (ED) Act, 1947, (15 of 1947) the Central Government hereby declares all services connected with the operation and maintenance of telephone service in Delhi and Bombay to be services of vital importance to the community.

[F. No. 1(126)/94-D(GS. I]
A. K. JAIN, Jt. Secy. (G)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994